न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2019

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. शंकराराम पुत्र घमाराम		1. मूलाराम पुत्र हुकमाराम
2. शांतिदेवी पत्नि लूणाराम		2. नारणाराम पुत्र हुकमाराम
3. रामाराम पुत्र लूणाराम अपीलांट सं. 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट सं. 2 शांति देवी		3. इन्द्रादेवी पत्नि हुकमाराम 4. रेखाराम पुत्र अन्नाराम 5. बाबूराम पुत्र खेराजराम 6. मलाराम पुत्र अन्नाराम
4. भागों देवी पत्नि घमाराम जाति दर्जी निवासी गालाबेरी तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर		7. मोहनराम पुत्र घमाराम जाति दर्जी निवासी गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर 8. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2018 जो ग्राम गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 735/545, 478 कुल रकबा 16–09 बीघा एवं ग्राम हेमावास के खसरा नम्बर 1209/920 कुल रकबा 44–02 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 8 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 से 7 बावजूद नोटिस तामील अनुपरिस्थत।

निर्णय

दिनांक : 22.09.2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 735/545, 478 रकबा कुल 16–09 बीघा व मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 1209/920 रकबा 44–02 बीघा के खातेदारान मोहनराम, शंकरराम पि0 घमाराम, शांति पत्नि लूणाराम, रामाराम पुत्र लूणाराम नाबालिग की वली माता शांति पत्नि लूणाराम, भागों पत्नि घमाराम, मलाराम, रेखाराम पि0 अनाराम, मूलाराम, नारणाराम पि0 हुकमाराम, इन्द्री पत्नि हुकमाराम, बाबूराम पुत्र खेराजराम कौम दर्जी सा0 गालाबेरी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2018 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत गालाबेरी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2008 दिनांक 30.06.2018 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 7 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि मौजा गालाबेरी के खसरा नम्बर 478, 476, 477 व 735/545 के विभाजन [illegible]कृति आदेश पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की [illegible] 735/545 में से सड़क खसरा नम्बर 736/546 रकबा 14 बिस्वा [illegible] रेकर्ड मे काटी जा चुकी है तथा उक्त सड़क की तरमीम से 17 बिस्[illegible] भूमि अकेले अपीलांट्स के हिस्से से कट रही है जिससे अपीलांट को भारी हानि हो रही हैं जबकि अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारान को उनके हिस्से के अनुसार पूरी भूमि प्राप्त हो रही हैं। ग्राम गालाबेरी के खसरा नम्बर 478, 476, 477 व 735 / 545 के मध्य वक्त सैटलमेंट से कटाण सड़क चल रही है जिसकी तरमीम हो रही है किन्तु उक्त कटाण मार्ग पर वर्तमान सड़क न होने से खसरा नम्बर 735 / 545 में से गुजर रहे सड़क मार्ग की अभी कुछ अर्सा पूर्व पुनः नई सड़क काटकर उनकी तरमीम नया खसरा नम्बर 736 / 545 किया गया हैं। उक्त नया खसरा तरमीम करने एवं भूमि कम करने के बदले पूर्व के कटाण मार्ग को न तो खसरा नम्बर 477 में और न ही 735 / 545 में शामिल किया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सड़क में सम्मिलित भूमि कम करने के बाद शेष भूमि का विभाजन हिस्सा अनुसार किया जाना था। इसके अलावा खसरा नम्बर 476, 477, 478 व 735 / 545 के मध्य सहमति विभाजन मे समर्पण कर दर्शायी गई रास्ते की भूमि सही नहीं दर्शायी है जिससे अपीलांट की ढाणी के बीच में रास्ते की तरमीम आती है, जिससे अपीलांट को भारी नुकसान हो रहा हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दूषित होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स की पुरानी रहवासीय ढाणी को तोड़कर रास्ता निकालने पर आमादा व धमकियां देने पर दिनांक 05.02.2019 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस व नकलें प्राप्त की व दिनांक 14.02.2019 को सहमति विभाजन व आलौच्य आदेश की नकलें प्राप्त की तब वास्तविक ज्ञान हुआ, वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश हैं परन्तु कानूनन आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2018 से निर्धारित अपील समय सीमा अज्ञानतावश गुजर जाने से उक्त अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर ज्ञान व नकल मिलने की तारीख से अन्दर मयाद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न पेश किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध त्रुटिपूर्ण व अपीलांट के हक हकूकों के विपरित होने से गलत आदेश की अपील करने में मयाद का बिन्दु प्रभावित नहीं होता हैं। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 478 व 735 / 545 के विभाजन की सीमा तक [illegible] के निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्याय आपके द्वार– 2018 अभियान के तहत मौजा गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 735 / 545, 478 रकबा कुल 16–09 बीघा व मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 1209 / 920 रकबा 44–02 बीघा के खातेदारान मोहनराम, शंकरराम पि0 घमाराम, शांति पत्नि लूणाराम, रामाराम पुत्र लूणाराम नाबालिग की वली माता शांति पत्नि लूणाराम, भागों पत्नि घमाराम, मलाराम, रेखाराम पि0 अनाराम, मूलाराम, नारणाराम पि0 हुकमाराम, इन्द्री पत्नि हुकमाराम, बाबूराम पुत्र खेराजराम कौम दर्जी सा0 गालाबेरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा को तहसीलदार बाड़मेर ने आदेश दिनांक 30.06.2018 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार मौजा गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 478 व 735 / 545 में उनके कब्जे–काश्त की भूमि रास्ते मे अंकित कर दी है तथा हिस्से अनुसार भूमि विभाजन भी समुचित रूप से नही किया गया है। इस प्रकार खातेदारान के निष्फ हिस्सा एवं किये गये विभाजन अनुसार यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक हिस्से व कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त व भूमि कम–ज्यादा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 30.06.2018 में मौजा गालाबेरी के खसरा नम्बर 476, 477, 478 व 735 / 545 के विभाजन स्वीकृति को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8 आदेश आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:40 IST
Reason: SelfAttested